

सुशीला एवं अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

आपराधिक अपील सं. 2020 सन् 2025

16 अप्रैल 2025

[न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत परिवाद मामले में विचारण न्यायालय द्वारा जारी समन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना का सही निस्तारण किया है, बिना याचिका को गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किए।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 – धारा 498ए, 323, 504, 506 – दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – धारा 4 – के प्रत्यर्थी सं. 2 का पति है और अपीलकर्ता के के रिश्तेदार हैं – के और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच वैवाहिक विवाद हुआ – के ने तलाक के लिए अर्जी दी – पारिवारिक न्यायालय द्वारा एकपक्षीय तलाक का आदेश पारित किया गया – तलाक के आदेश के पारित होने के 3 वर्ष पश्चात प्रत्यर्थी सं. 2 ने धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत शिकायत दर्ज कराई – इसके अनुसरण में, मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. के तहत समन जारी किया – अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष समन आदेश को रद्द करने के लिए धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया – औचित्य:

धारित किया गया: बेशक, विवाह पहले ही 31.05.2012 को पारित तलाक के आदेश द्वारा भंग हो चुका है और वर्तमान शिकायत तलाक के तीन साल बाद दायर की गई थी - अपीलकर्ताओं के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खिलाफ दिए गए बयान को छोड़कर, अन्य आरोप पति के खिलाफ हैं - इस बात का कोई कारण या औचित्य नहीं है कि अपीलकर्ता 16.08.2015 को परिवादी के घर जाकर सुलह की कोशिश क्यों करेंगे, जबकि तलाक पहले ही 31.05.2012 के आदेश द्वारा हो चुका है - वास्तव में, शिकायत मुख्य रूप से पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए है और अपीलकर्ताओं का एकमात्र संदर्भ 16.08.2015 को नोएडा में उसके अपने घर पर हुई घटना के लिए किया गया है - हालांकि, उस समय तक, तलाक का एकतरफा आदेश पहले ही पारित हो चुका था - वर्तमान मामले में आरोपों की जांच करने के बाद, यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को अनावश्यक रूप से शिकायत में शामिल किया गया है, जबकि उनके खिलाफ विवाह के दौरान पति और पत्नी के बीच हुई किसी घटना के लिए कोई विशेष आरोप नहीं है - इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देना इस कारण से कष्टकारी मुकदमा माना जाएगा कि वे पति के रिश्तेदार हैं - तदनुसार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत का मामला रद्द किया जाता है। [पैरा 9, 12]

उद्धृत केस लॉ

गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2012] 9 एससीआर 641 : (2012) 10 एससीसी 741; दारा लक्ष्मी नारायण एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य 2024 आईएनएससी 953 : [2024] 12 एससीआर 559 -अवलंबित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दहेज निषेध अधिनियम, 1961।

कीवर्ड की सूची

समन आदेश को रद्द करना; वैवाहिक विवाद; एकतरफा तलाक का आदेश; परिवाद; दहेज की मांग; पत्नी के खिलाफ क्रूरता; विशिष्ट आरोपों का अभाव।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वाद उद्भूत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 2020 सन् 2025

ए 482 सं. 41796 सन् 2018 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिनांक 20.11.2018 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता :

बिबेक त्रिपाठी, आशीष कुमार उपाध्याय, सुश्री मैत्री गोल, पी. वी.

योगेश्वरन.

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता :

अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, विकास बंसल, गर्वेश काबरा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

अनुमति दी गई।

2. आक्षेपित आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860¹ की धारा 498 ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत परिवार सं. 2789 सन् 2015 में विचारण न्यायालय द्वारा जारी समन आदेश दिनांकित 23.04.2018 को रद्द करने की अपीलकर्ताओं की प्रार्थना का निस्तारण, याचिका को मेरिट के आधार पर निर्णीत किए बिना, कर दिया।

3. कुमार सौरभ प्रत्यर्थी सं. 2 (श्रीमती चारुस्मिता) के पति हैं तथा अपीलकर्ता कुमार सौरभ के रिश्तेदार हैं। अपीलकर्ता सं. 1 - सुशीला उनकी मां हैं, अपीलकर्ता सं. 2 - शैलेंद्र डबलू बड़े भाई हैं, अपीलकर्ता सं. 3 - सीमा भाभी हैं, अपीलकर्ता सं. 4 - कुलश्रेष्ठ उपाध्याय बड़े भाई हैं तथा

1 भा.दं.सं.

अपीलकर्ता सं. 5 - कनक कुमार सौरभ की बहन हैं। कुमार सौरभ तथा प्रत्यर्थी सं. 2 (श्रीमती चारुस्मिता) का विवाह 17.06.2010 को हुआ था। विवाह के पश्चात वे कुछ समय के लिए कोटा (राजस्थान) में रहे, उसके पश्चात अक्टूबर, 2010 में उन्होंने अपना सारा सामान सहित स्त्रीधन लेकर अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया तथा अपने माता-पिता के साथ रहने लगीं।

4. अपीलकर्ताओं का पक्ष यह है कि कुमार सौरभ द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को वैवाहिक जीवन में वापस लाने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए, जिसके कारण उन्हें परिवार न्यायाधीश, कोटा, राजस्थान की अदालत में केस सं. 476 सन् 2011 के तहत तलाक की याचिका पेश करनी पड़ी। प्रत्यर्थी सं. 2 नोटिस प्राप्त करने के बावजूद परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप परिवार न्यायालय, कोटा द्वारा दिनांक 31.05.2012 को एकपक्षीय तलाक का आदेश पारित किया गया। तलाक की डिक्री पारित होने की तिथि से लगभग 03 वर्ष पश्चात, प्रत्यर्थी सं. 2 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर के समक्ष धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को एक परिवाद माना गया, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के पश्चात, विद्वान मजिस्ट्रेट ने 23.04.2018 को धारा 498 ए भा.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ समन आदेश जारी किया।

5. व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत समन आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे उक्त आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

6. यह तर्क दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया है, जबकि उनमें से किसी के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल यह बयान दिया गया है कि वे भी दहेज की मांग करके प्रत्यर्थी सं. 2 को परेशान करने में शामिल हैं।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील पर आक्षेपित आदेश का समर्थन किया कि अपीलकर्ता पति के रिश्तेदार होने के नाते प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ दुर्व्यवहार में भी शामिल थे और सच्चाई मुकदमे के दौरान सामने आएगी। उनके अनुसार, वर्तमान मामला परिवाद को तुरंत रद्द करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

8. परिवाद (अनुलग्नक पी-2) को पढ़ने से पता चलता है कि विवाह 17.06.2010 को हुआ था और दंपति पांच दिन वाराणसी में रहे और 22.06.2010 से कोटा में रहने लगे, जहां वे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिकांश समय रहे। परिवादी अक्टूबर, 2010 में कोटा से लौटी और उसके बाद, यह कहा गया कि 16.08.2015 को अपीलकर्ता कोटा में उसके घर आए और उसे धमकाकर और उसके साथ दुर्व्यवहार करके दहेज की मांग की। यह भी आरोप है कि उन्होंने उसका मंगलसूत्र छीन लिया और भाग गए।

9. बेशक, विवाह पहले ही 31.05.2012 को पारित तलाक के आदेश द्वारा भंग हो चुका है और वर्तमान परिवाद तलाक के तीन साल बाद दायर किया गया। अपीलकर्ताओं के खिलाफ दिए गए बयान के अलावा, अन्य आरोप पति के खिलाफ हैं। इस बात का कोई कारण या औचित्य नहीं है कि अपीलकर्ता 16.08.2015 को परिवादी के घर जाकर सुलह की कोशिश क्यों करेंगे, जबकि तलाक पहले ही 31.05.2012 के आदेश द्वारा हो चुका है। भले ही ऐसी घटना 16.08.2015 को हुई हो, तथ्य यह है कि उक्त तिथि को पति और पत्नी का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए अपीलकर्ता पति के रिश्तेदार होने के कारण भा.दं.सं. की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत अपराध के लिए आगे नहीं बढ़ सकते।

10. इस न्यायालय ने **गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य²** के मामले में धारा 498 ए भा.दं.सं. और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत अपराध के लिए पति के रिश्तेदारों को शामिल करने की प्रथा की निंदा की है। पैरा 18 में निम्नलिखित अवधारित किया गया है:

“18. रमेश [(2005) 3 एससीसी 507: 2005 एससीसी (क्रि) 735] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने यह माना कि परिवादी द्वारा भाभी के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी पति के अधिक से अधिक रिश्तेदारों को इसमें शामिल करने के लिए बेचैन थी। यह माना गया कि न तो एफआईआर और न ही आरोप-पत्र ने मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया। विद्वान न्यायाधीशों ने यह माना कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों और आरोप-पत्र की सामग्री को देखते हुए, धारा 498-ए, 406 भा.दं.सं. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई भी कथित अपराध परिवादी के पति की विवाहित बहन के खिलाफ नहीं किया गया

2 (2012) 10 एससीसी 741

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था, जो निर्विवाद रूप से परिवारी के पति के परिवार के साथ नहीं रह रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह माना कि उच्च न्यायालय को भाभी को मुकदमे की कड़ी परीक्षा में नहीं डालना चाहिए था। तदनुसार , अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई और अपील स्वीकार कर ली गई।"

11. दारा लक्ष्मी नारायण एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य³, के मामले में हाल ही में दिए गए फैसले में इस न्यायालय ने दहेज संबंधी मामलों में पति के रिश्तेदारों को शामिल करने की प्रथा को फिर से दोहराया और इसकी निंदा की है। पैरा 24, 25, 28, 30, 31 और 32 में निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं:

"24. जहाँ तक अपीलकर्ता सं. 2 से 6 का सवाल है, हमें लगता है कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्हें बिना किसी कारण या तर्क के अपराध के जाल में घसीटा गया है। एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता सं. 2 से 6 के खिलाफ कोई ठोस और विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, सिवाय इसके कि वे अपीलकर्ता सं. 1 को अधिक दहेज की माँग करने के लिए उकसाते थे। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वे कभी भी अपीलकर्ता सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 और उनके बच्चों के साथ नहीं रहे। अपीलकर्ता सं. 2 और 3 गुंटकल, आंध्र प्रदेश में एक साथ रहते थे। अपीलकर्ता सं. 4 से 6 क्रमशः नेल्लोर, बेंगलुरु और गुंटूर में रहते हैं।

25. वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख मात्र, बिना किसी विशेष आरोप के, उनकी सक्रिय भागीदारी को इंगित किए बिना, शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए। यह एक सर्वविदित तथ्य है, जो न्यायिक अनुभव से प्रमाणित है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवाद में अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों द्वारा समर्थित नहीं किए गए ऐसे सामान्यीकृत और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते। न्यायालयों को ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और

3 2024 आईएनएससी 953 : [2024] 12 एससीआर 559

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान मामले में , अपीलकर्ता सं. 2 से 6, जो अपीलकर्ता सं. 1 के परिवार के सदस्य हैं, अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं और अपीलकर्ता सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 के वैवाहिक घर में नहीं रहते हैं। इसलिए , उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ऐसा करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है।

28. संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को शामिल करने का उद्देश्य पति और उसके परिवार द्वारा महिला पर की जाने वाली क्रूरता को रोकना था , ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। हालाँकि, हाल के वर्षों में, देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही विवाह संस्था के भीतर कलह और तनाव भी बढ़ रहा है, परिणामस्वरूप, पति और उसके परिवार के खिलाफ पत्नी द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए भा.दं.सं. की धारा 498 ए जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वैवाहिक विवादों के दौरान अस्पष्ट और सामान्यीकृत आरोप लगाने से , यदि जांच नहीं की जाती है, तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा और पत्नी और/या उसके परिवार द्वारा दबाव डालने की रणनीति के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। कभी-कभी पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 498 ए का सहारा लिया जाता है। नतीजतन, इस अदालत ने बार-बार पति और उसके परिवार के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला न होने पर मुकदमा चलाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

30. उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने जी.वी. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद (2000) 3 एस.सी.सी. 693 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“12. हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में वृद्धि हुई है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा जोड़े को जीवन में शांतिपूर्वक रहने में सक्षम बनाना है। लेकिन छोटी-छोटी वैवाहिक झड़पें अचानक भड़क उठती हैं जो अक्सर गंभीर हो जाती हैं और जघन्य अपराध हो जाते हैं जिसमें परिवार के बड़े -बुजुर्ग भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

शामिल हो जाते हैं और जिसके परिणामस्वरूप जो लोग सलाह दे सकते थे और सुलह करा सकते थे, वे आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में पेश किए जाने पर असहाय हो जाते हैं। वैवाहिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित न करने के कई अन्य कारण हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जाना चाहिए ताकि पक्षकार अपनी चूक पर विचार कर सकें और आपसी सहमति से अपने विवादों को समाप्त कर सकें बजाय इसके कि वे इसे अदालत में लड़ें जहाँ इसे समाप्त होने में सालों लग जाते हैं और इस प्रक्रिया में पक्षकार अलग-अलग अदालतों में अपने "मामलों" को आगे बढ़ाने में अपने "युवा" दिन खो देते हैं।"

31. इसके अलावा, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010) 7 एससीसी 667 में इस न्यायालय ने माना कि अदालतों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस स्थान पर नहीं गए या कभी-कभार ही गए जहाँ परिवादी रहती थी, का स्वरूप पूरी तरह से अलग होगा। परिवादी के आरोपों की बहुत सावधानी और सतर्कता से जाँच की जानी चाहिए।

32. इसलिए, हमारा मानना है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर की गई एफआईआर सं. 82/2022 अपीलकर्ता सं. 1 और उसके परिवार के सदस्यों यानी अपीलकर्ता सं. 2 से 6 के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी और रंजिश निकालने के गुप्त उद्देश्यों से शुरू की गई थी। इसलिए, वर्तमान मामला भजन लाल में उल्लिखित उदाहरणात्मक मापदंडों की श्रेणी (7) के अंतर्गत आता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग न करके गलती की और इस तरह अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन जारी रखकर अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने में विफल रहा।

12. वर्तमान मामले में आरोपों की जांच करने के बाद गीता मेहरोत्रा (उपरोक्त) और दारा लक्ष्मी नारायण (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा तय कानून के अनुसार, हमें यह मानने में कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को अनावश्यक रूप से शिकायत में शामिल किया गया है, जबकि उनके खिलाफ किसी भी घटना के लिए कोई विशेष आरोप नहीं है जो पति और पत्नी के बीच विवाह के दौरान और उस अवधि के दौरान हुई थी जब वे कोटा में एक साथ रहते थे। वास्तव में, शिकायत मुख्य रूप से पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में है और अपीलकर्ताओं का एकमात्र संदर्भ 16.08.2015 को नोएडा में उसके अपने घर पर हुई घटना के लिए है। हालाँकि, उस समय तक तलाक का एकतरफा फैसला पहले ही पारित हो चुका था। इस मामले को देखते हुए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देना केवल इस कारण से कष्टकारी मुकदमा माना जाएगा कि वे पति के रिश्तेदार हैं। तदनुसार , हम अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिवाद सं. 2789 सन् 2015 को रद्द करते हैं। अपील स्वीकार की जाती है।

मामले का नतीजा: अपील स्वीकार की गई।

हेडनोट्स द्वारा: अंकित ज्ञान